भारतीय डिजिटल कर विभेदक: USTR

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (United States Trade Representative- USTR) ने कहा है कि भारत, इटली और तुर्की द्वारा अपनाए गए **डिजिटल सेवा कर (Digital services taxes-DSTs)** अमेरिकी कंपनियों के साथ भेदभाव करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कर सिद्धांतों के असंगत हैं।

प्रमुख बिंदु:

- ### संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (USTR):
    - यह अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास और समन्वय हेतु उत्तरदायी एक संस्था है।
    - **यूएस ट्रेड अधिनियम** (US Trade Act) की **धारा 301, USTR** को किसी बाहरी देश द्वारा की गई अनुचित या भेदभावपूर्ण कार्रवाई जो कि अमेरिकी वाणिज्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, की जाँच करने और उस पर प्रतिक्रिया देने का व्यापक अधिकार प्रदान करती है।
    - वर्ष 1974 के व्यापार अधिनियम के माध्यम से अपनाई गई यह धारा अमेरिकी राष्ट्रपति को विदेशी राष्ट्रों पर टैरिफ या अन्य प्रतिबंध लगाने की अनुमति देती है।
    - हालाँकि कानून व्यापारिक भागीदार देशों के साथ अनिवार्य परामर्श का विकल्प भी प्रस्तुत करता है।

- ### डिजिटल सेवा कर (DSTs)
    - यह कर कंपनियों द्वारा डिजिटल सेवाएँ प्रदान करने के बदले प्राप्त राजस्व पर अधिरोपित किया जाता है। यह कर मुख्य तौर पर गूगल, अमेज़न और एप्पल जैसी डिजिटल बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लागू होता है।
    - वर्तमान में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली को अनुकूलित करने के उद्देश्य से 130 से अधिक देशों के साथ वार्ता कर रहा है। इस कार्यवाही का एक लक्ष्य अर्थव्यवस्था के डिजिटिलीकरण से संबंधित कर चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करना है।
        - कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि किसी एक विशिष्ट क्षेत्र या गतिविधि को लक्षित करने हेतु डिज़ाइन की गई कर नीति अनुचित हो सकती है और इससे जटिल परिणाम उत्पन्न होने की संभावना है।
        - इसके अलावा डिजिटल अर्थव्यवस्था को शेष (गैर डिजिटल) वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है।

- ### डिजिटल कंम्पनियों पर भारत का कर:
    - सरकार ने वित्त विधेयक 2020-21 में 2 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करने वाले गैर-निवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा किये जाने वाले व्यापार और सेवाओं पर 2 प्रतिशत डिजिटल सेवा कर (DST) लागू करने हेतु एक संशोधन किया था।
        - इसके माध्यम से प्रभावी ढंग से समतुल्य लेवी के दायरे का विस्तार किया गया, जो कि बीते वर्ष तक केवल डिजिटल विज्ञापन सेवाओं पर ही लागू होती थी।
        - वर्ष 2016 में सरकार द्वारा समतुल्य लेवी (6 प्रतिशत) की शुरुआत की गई थी और इसे व्यवसाय-से-व्यवसाय डिजिटल विज्ञापनों तथा निवासी सेवा प्रदाताओं से संबद्ध सेवाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न राजस्व पर अधिरोपित किया जाता था।
    - नया करारोपण 1 अप्रैल, 2020 से लागू किया गया, इसमें ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिये प्रत्येक तिमाही के अंत में कर का भुगतान करना अनिवार्य है।

- ## USTR की जाँच रपिोर्ट:
    - भारत में DST भेदभावपूर्ण है क्योंकियह भारतीय कंपनयिों को छूट प्रदान करता है और गैर-भारतीय फर्मों को नशिाना बनाता है।
        - ये प्रौद्योगकिी उद्योग पर हावी अमेरकिी कंपनयिों को प्रभावति करते हैं।
        - डजिटिल सेवा कर के तहत 119 कंपनयिाँ की पहचान की गई, जसिमें से 86 (72 प्रतशित) कंपनयिाँ अमेरकिी थीं।
    - USTR का अनुमान है कअिमेरकिी कंपनयिों के लयि कुल कर बलि **प्रतवि्र्ष 30 मलियिन अमेरकिी डॉलर** से अधकि हो सकता है।
    - USTR ने नर्धिारति कयिा कभिारत का DST अनुचति या भेदभावपूर्ण है और US कॉमर्स को प्रतबिंधति करता है। इस प्रकार यह **धारा 301, यूएस ट्रेड अधनियिम** के तहत कार्रवाई योग्य है।

- ## भारत का पक्ष
    - भारत ने समतुल्य लेवी (Equalisation Levy) को उचति और गैर-भेदभावपूर्ण कर के रूप में वर्णति कयिा है, जो कभिारत के स्थानीय बाज़ार में कार्य कर रहीं सभी टेक कंपनयिों पर समान रूप से लागू होता है। भारत ने स्पष्ट तौर पर इस कर के माध्यम से अमेरकिा की कंपनयिों को लक्षति करने के आरोप से इनकार कयिा है।
        - इसका उद्देश्य भारत की कंपनयिों के साथ-साथ भारत के बाहर से संचालति कंपनयिों के लयि ई-कॉमर्स गतवििधियिों के संबंध में एक समान अवसर सुनश्चिति करना है।
    - भारत सरकार इस संबंध में अमेरकिा द्वारा अधसिूचति नरि्णय की जाँच करेगी और राष्ट्र के समग्र हति को ध्यान में रखते हुए उचति कार्रवाई करेगी।
    - समतुल्य लेवी, जो कि केवल भारतीय क्षेत्र से उत्पन्न राजस्व पर लागू होती है, में कोई पूर्वव्यापी तत्त्व या अतरिकि्त-प्रादेशकि अनुप्रयोग शामलि नहीं है।
        - यह कर इस सद्धिांत पर आधारति है कि डजिटिल दुनयिा में एक वकि्रेता बनिा कसिी भौतकि उपस्थति के व्यापारकि लेन-देन में संलग्न हो सकता है और सरकारों के पास इस तरह के लेन-देन पर कर अधरिोपति करने का वैध अधकिार है।

- ## चतिाएँ
    - अमेरकिा का यह कदम वशिेष तौर पर वशि्व व्यापार संगठन (WTO) की नषि्क्रयिता को देखते हुए डजिटिल सेवाओं के मोर्चे पर अमेरकिा की एकतरफा कार्रवाई की शुरुआत का संकेत दे रहा है।
    - भारत के मामले में यह जाँच संभावति रूप से दोनों देशों के बीच द्वपिक्षीय व्यापार सौदे के को प्रभावति कर सकती है, जसिे लेकर भारत और अमेरकिा के बीच लंबे समय से वार्ता की जा रही है।

DIFFERENT STROKES

USTR probe:	Indian official:
India's digital services tax (DST) from Apr 2020 is **'discriminatory'**, as it targets only non-residents	US probe ignores the **2016 levy on domestic firms**; levy's scope was only widened last year to level playing field
DST taxes firms' revenue rather than income, so it's inconsistent with **global tax principles**	Several global tax measures, including those on royalty and technical fees, are not levied on income
Firms should not be subject to a country's **corporate tax absent a territorial connection** to it	Almost all US states have laws on **remote sellers/market-place facilitators**, which tax even non-US resident entities

//

आगे की राह

- ज्ञात हो कभिारत तेज़ी से एक वशिाल डजिटिल अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, अतः ऐसे में आवश्यक है कि 2 प्रतशित डजिटिल सेवा कर (DST) को लेकर भारत द्वारा यथासंभव वार्ता की जाए, ताकयिह सुनश्चिति कयिा जा सके कयिह भारत की डजिटिल अर्थव्यवस्था बनने की दशिा में बाधा न बन जाए।

दृष्टि The Vision

- इसके अलावा डिजिटिल अर्थव्यवस्था पर कराधान से संबंधित मुद्दों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने की आवश्यकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/indian-digital-tax-discriminatory-ustr